बी.ए. प्रथम में प्रवेश सम्बन्धी सामान्य नियम

- प्रवेश मेरिट के अनुसार होगा।
- प्रवेश शासन के आरक्षण सम्बन्धी प्रावधानो के अनुसार होगा। जिसमें पिछड़ी, अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति के लिए क्रमशः 27 प्रतिशत, 21 प्रतिशत एवं 2 प्रतिशत देय होगा।
- ''विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम आश्रित एवं शहीद आश्रितों को उसी वर्ग में 2 प्रतिशत आरक्षण देय होगा किन्तु इस सम्बन्ध का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- बी0ए0 एवं बी0 एस–सी0 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु इण्टरमीडिएट में क्रमशः 40 एवं 45 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग की छात्राओं के लिए केवल 33 प्रतिशत उत्तीर्णांक आवश्यक है। सीटे रिक्ट होने पर दो वर्ष तक की गैप इयर की छात्राओं के प्रवेश हेतु मेरिट के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा।

- **किसी भी दशा में अनुत्तीर्ण छात्राओं को प्रवेश नही दिया जायेगा। वे भूतपूर्व छात्रायें बनेंगी।**
- अपूर्ण भरे हुए आवेदन पर प्रवेश हेतु विचार नही किया जायेगा।
- सावधानी पूर्वक आवेदन पत्र की पूर्ति कर निम्नलिखित प्रमाण पत्र संलग्न करे : हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट के प्रमाणिक अंक पत्र आरक्षण सम्बन्धी जाति प्रमाण पत्र।
- व्यक्तिगत (प्राईवेट) परीक्षा उत्तीर्ण छात्रा **दो** राजपत्रित **अधिकारियों से** प्राप्त चरित्रप्रमाण पत्र अनिवार्यतः संलग्न करें।
- आरक्षित वर्ग में प्रवेश हेतु प्रवेशार्थी को जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- छात्रा को प्रवेश साक्षात्कार के समय सभी मूल प्रमाण पत्र (हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट अंक तालिका, जाति / आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र, टी0सी0 एवं चरित्र प्रमाण पत्र......) लाना अनिवार्य होगा।
- प्रवेश साक्षात्कार हेतु निर्धारित तिथि को अनुपस्थित रहने वाला छात्रा के स्थान पर दूसरी कट आफ मेरिट की छात्रा को प्रवेश दे दिया जायेगा और उसका प्रवेश का अधिकार समाप्त हो जाएगा।
- साक्षात्कार के बाद प्रवेश हेतु संस्तुत प्रवेशार्थी को उसी दिन निर्धारित शुल्क निर्धारित बैंक (ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स, वर्मा तिराहा, फतेहपुर) में जमा करना होगा अन्यथा प्रवेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा।
- प्रवेश शुल्क जमा होने के उपरांत किसी भी दशा में वापस नही होगा।
- प्रवेशार्थी स्वयं सोच–समझकर विषय का चयन करें। प्रवेश के बाद किसी भी दशा में विषय परिवर्तन अनुमन्य नही होगा।
- प्रवेश के समय गलत सूचना देने और गलत प्रमाण पत्र (जाति प्रमाण, आय प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र आदि) संलग्न करने वाली छात्रा का प्रवेश निरस्त किये जाने के साथ–साथ दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगा।
- प्रवेशार्थी को रैगिंग सम्बन्धी शपथ–पत्र भर कर संलग्न करना अनिवार्य है।
- विश्वविद्यालय द्वारा इस महाविद्यालय में बी0ए0 प्रथम में 840 एवं बी0 एस–सी0 प्रथम वर्ष में 120 सीटस् निर्धारित है। उ0प्र0 राज्य अधिनियम, 1973 की धारा 69 के अंतर्गत किसी न्यायालय का विश्वविद्यालय और प्राचार्य निर्धारित प्रवेश सम्बन्धी नियम के मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है।
- प्रत्येक प्रवेशार्थी को प्रवेश आवेदन प्रपत्र में संपर्क हेतु पत्राचार का पता एवं दूरभाष / मोबाइल नम्बर अंकित करना अनिवार्य होगा।
- बी0ए0 कक्षाओं में प्रवेशार्थी तीन साहित्य विषय एक साथ नही ले सकती है।
- इसी प्रकार हिन्दी व उर्दू, उर्दू व संस्कृत **तथा संस्कृत व शारीरिक शिक्षा** साथ में नही लिया जा सकता।
- पर्यावरण अध्ययन विषय बी0ए0 / बी0एस0सी0 प्रथम वर्ष की समस्त छात्राओं के लिए अनिवार्य है।
- बी0ए0 द्वितीय / बी0एस–सी0 द्वितीय तथा बी0ए0 तृतीय / बी0एस–सी0 तृतीय की वे छात्राऐ जिन्होने पूर्व कक्षाओं से पर्यावरण अध्ययन की परीक्षा उत्तीर्ण नही की है उन्हे पर्यावरण अध्ययन विषय भरना अनिवार्य है।
- बी0ए0 कक्षाओं के तीन प्रयोगात्मक विषय अनुमन्य नही होगे।

स्नातकोत्तर प्रवेश हेतु नियम

- एम0ए0 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्नातक स्तर पर 40 प्रतिशत अंक अनिवार्य है। किन्तु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग की छात्राओं के लिये मात्र उत्तीर्णांक आवश्यक है। प्रवेश केवल स्नातक परीक्षा इस वर्ष में उत्तीर्ण छात्राओं को देय होगा। सीटे रिक्त रहने पर गत वर्ष में उत्तीर्ण छात्राओं के प्रवेश हेतु मेरिट के अनुसार प्रवेश दिया जायेगा।
- पूर्व में एक विषय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण छात्राओं को पुनः किसी अन्य विषय में स्नातकोत्तर प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
- इस महाविद्यालय में स्नातक उत्तीर्ण छात्रा को स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश हेतु 20 अंकों का अधिभार दिया जायेगा।
- बी0ए0 में प्राप्त अंक के आधार पर मेरिट का निर्धारण किया जायेगा।
- जिस विषय में एम0ए0 में प्रवेश लेना है, वह विषय बी0ए0 तृतीय में अवश्य पढ़ा होना चाहिए।
- रेंजर्स प्रवेश को कोई अंक नहीं, प्रवीण को 5 अंक निपुण को 10 अंक तथा राष्ट्रपति/राज्यपाल प्रशंसित–पुरस्कृत को 15 अंक देय होगा।
- महाविद्यालय के स्नातकोत्तर विभाग में विषयवार सीटे– 1. हिन्दी–60 सीट 2. इतिहास–60 सीट 3. राजनीति विज्ञान–60 सीट

डॉ0 भीमरॉव अम्बेडकर राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय

फतेहपुर, उ.प्र.

www.gdcfatehpur.org Email : ft03ggdcftp@gmail.com

Token ₹ 100/-
Bank Charges ₹ 30/-
Total ₹ 130/-

help line no. : 7408314588

Timing : 10.00 am to 5.00 pm
(Working Days Only)